भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 231
मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

†***231**. **श्री बलभद्र माझीः**
डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारी समितियों के लिए शुरू की गई नई क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निगम द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संप्रभु गारंटी के साथ बांड जारी किए जाने को मंजूरी दी है;

(ग) यदि हाँ, तो इससे संबद्ध नियम और शर्तें क्या हैं और इस निगम द्वारा सार्वभौमिक गारंटी बांड के माध्यम से विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राप्त राशि का उपयोग दीर्घावधिक सहकारी ऋण के लिए किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या निगम गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों की खरीद और समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों से संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो मात्स्यिकी के विकास से संबंधित पहल के अंतर्गत पालघर जिले के तटीय क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (च): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्री बलभद्र माझी और डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम" के संबंध में पूछे गए दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 231 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है, की स्थापना वर्ष 1963 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा फसल पश्चात की सुविधाओं की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित, सशक्त और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी । यह निगम सहकारी समितियों को विभिन्न कार्यकलापों और भारत सरकार की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

हाल के वर्षों में, दिनांक 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा निम्नलिखित दो नई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

i) स्वयं शक्ति सहकार योजना: यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/ अग्रिम प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।

ii) दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना**:** एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ऋण सहकारी समितियों को कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए आगे ऋण देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम ऋण प्रदान करने के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

उपर्युक्त योजनाओं का ब्योरा **संलग्नक-1** पर दिया गया है ।

(ख) से (घ): वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वर्ष 2023-24 के दौरान बॉन्ड्स जारी करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का अनुमोदन संसूचित किया । तथापि, गैर-व्यवहार्यता के कारण बॉन्ड्स जारी नहीं किए जा सके ।

(ङ) से (च): जी हां, मान्यवर । गहरे समुद्री ट्रॉलरों के प्रापण और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए एनसीडीसी की सहायता का ब्योरा **संलग्नक-2** में दिया गया है ।

संलग्नक– 1

हाल के वर्षों में एनसीडीसी द्वारा आरंभित योजनाओं का ब्योरा

क) स्वयं शक्ति सहकार योजना

उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को निम्नलिखित सुविधा के लिए आगे कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए-

(i) गरीबों को किफायती लागत-प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ।

(ii) महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को साझा/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच ।

(iii) संधारणीय आजीविका को प्रोत्साहन ।

पात्रता:

i) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS)

ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)

iii) राज्य सहकारी बैंक (StCBs)

iv) स्वयं सहायता समूह परिसंघित सहकारी समितियां/सहकारी परिसंघ

ऋण की अवधि: मूल धनराशि की चुकौती पर अधिकतम 6 माह अधिस्थगन (moratorium) के साथ 3 वर्ष तक । क्रेडिट सहकारी समितियां वार्षिक प्रमाणीकरण के साथ परिक्रामी (revolving) आधार पर 5 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी ऋण भी ले सकती हैं । यह ऋण अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा ।

ब्याज दर: एनसीडीसी परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित ब्याज दर ।

निधीयन की रूपरेखा: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आगे अल्पकालिक/मध्यमकालिक ऋण देने हेतु क्रेडिट सहकारी समितियों की आवश्यकता और एनसीडीसी के आकलन के अनुसार (क्रेडिट सहकारी समितियों के उधार व्यवसाय टर्नओवर के अनुसार) ऋण ।

ख) दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना

उद्देश्य: एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार के अधीन के कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को आगे दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने हेतु एनसीडीसी की दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि:-

i. सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को बढ़ी हुई और निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो ।

ii. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निर्माण में वृद्धि हो ।

iii. गैर-फार्म सेक्टर कार्यकलापों को सहायता मिले ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो ।

पात्रता:

इस योजना के अधीन एनसीडीसी के ऋण के लिए निम्नलिखित प्रकार की कृषि क्रेडिट सहकारी समितियां पात्र होंगी:

i. प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समितियां (PACS)

ii. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)

iii. राज्य सहकारी बैंक (StCBs)

iv. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDS)

v. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDS)

ऋण अवधि: ऋण चुकौती और ब्याज के भुगतान पर बिना कोई अधिस्थगन (moratorium) के 5 वर्षों तक ।

ब्याज दर: एनसीडीसी परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित ब्याज दर ।

निधीयन की रूपरेखा: आवश्यकतानुसार ऋण, जो नाबार्ड, राज्य सरकार, स्वयं की निधि, जमाराशि, अन्य वित्तपोषण संस्थानों, आदि जैसे वित्त के अन्य स्रोतों को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों की कुल अपेक्षा के 80% से अधिक नहीं होगी ।

संलग्नक -2

गहरे समुद्री ट्रॉलरों के प्रापण और समुद्री प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए एनसीडीसी सहायता

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	लाभार्थी का नाम	कार्यकलाप	स्वीकृत		जारी
				कुल परियोजना लागत	स्वीकृत एनसीडीसी सावधि ऋण	जारी एनसीडीसी सावधि ऋण
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र की मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	मछली पकड़ने के 14 गहरे समुद्री जहाजों का अधिग्रहण	20.30	11.55	2.89
2.		राजमाता विकास मच्छीमार सह संस्था, ससूनडॉक, कोलाबा, मुंबई के लिए मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	46.74	37.39	9.35
3.	गुजरात	श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड पोर्ट एरिया, मंगरोल बंदर, जिला जुनागढ़, गुजरात	समिति के 30 सदस्यों के लिए मछली पकड़ने के 30 गहरे समुद्री जहाजों का अधिग्रहण	36.00	18.00	0.00
4.	केरल	इंटीग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2022-23 के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार जिसे प्राथमिक फिशरमेन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज़ डेवलपमेंट लि. (MATSYAFED) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।	केरल सरकार के इंटीग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए	36.33	32.69	20.83
कुल				**139.37**	**99.63**	**33.07**

टिप्पणी: पालघर जिला के तटीय क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

*****